	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-3-21	उपखण्ड ... उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है पत्रावली दिनांक 12-3-21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
12-3-21	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 16-3-21 को पेश हो।	
16-3-21	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित. वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजियात नं. 2200 2207, भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी सं. 1 की आराजी नं. 2208/2 भूमि में दक्षिणी पश्चिमी मेड़ के सहारे-सहारे 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि अप्रार्थी सं. 1 अधिवक्ता ने अपने जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की। वकील प्रार्थी ने वांछित रास्ते पत्थरगढ़ी तारबंदी का खर्चा प्रार्थी विपक्षी को देने हेतु सहमत है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट पर अध्ययन व मनन किया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अतः :: आदेश :: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ग्राम [illegible] हल्का घोड़ास तहसील माण्डल जिला [illegible] में स्थित आराजी नं. 2207, 2200 [illegible] 02 कुल रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नहीं है एवं मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त कृषि	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:56:14 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मे आने-जाने हेतु अप्रार्थी सं० 1 की आराजी नं० 2208/2 रकबा कुल 15 बिस्वा भूमि मे से दक्षिणी-पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे 16 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है। 16 फीट चौड़ा रास्ता के काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी सं० 1 को भुगतान करे। अप्रार्थी सं० 1 की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार माण्डल को निर्णय की पालना भिजवाते हुए लिखा जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार माण्डल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:56:14 IST
Reason: SelfAttested